(वाद संख्या–7864/4/5/2021)

28.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, नृपति प्रसाद अकेला, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, रंगराचौक की ओर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सन्हौला (श्रीमति चन्द्रकला कुमारी) के द्वारा एल0पी0सी0 निर्गत नहीं करने का बहाना बनाकर वास्तविकता को छुपाने तथा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण द्वारा उच्चाधिकारी को भ्रमित किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित वरीय उप समाहर्त्ता, जिला स्थापना शाखा, भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के वर्त्तमान कार्यालय, सन्हौला से निर्गत एल0पी0सी0 को जिला विकास शाखा द्वारा गठित जांचदल के जांचोपरान्त विलोपित कर संशोधित अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र एवं मूल सेवा–पुस्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंगराचौक को भेज दिया गया है। तदोपरान्त परिवादी को उसके बकाये 08माह के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रसंगाधीन मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा राज्य आयोग से प्रसंगाधीन मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अब, जबकि परिवादी की शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा निराकरण किया जा चुका है तथा परिवादी द्वारा प्रसंगाधीन मामले की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है तो ऐसी स्थिति में परिवादी के अनुरोध पर विचार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>